भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 86-सेक (ई)टी आर-1/1 नई दिल्ली, दि 10-6-96

स्थायी आदेश सं. 8

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एस एफ, रेलवे बोर्ड

विषय : आर पी एफ/आर पी एस एफ कर्मचारियों का स्थानांतरण

इस कार्यालय के 22.5.96 के समसंख्यक पत्र के अन्तर्गत जारी स्थायी आदेश सं. 2, 1996 के क्रम में, यह बताया जाता है कि रे.सु.बल कर्मचारियों से प्राप्त अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण आवेदनों को जब तब महानिदेशक कार्यालय को नहीं भेजा जाएगा बल्कि उन्हें एक लॉट में हर वर्ष 31 जनवरी को भेजा जाएगा। हर वर्ष मार्च के दौरान अन्तर्रेलवे स्थानात्तरण आवेदनों पर महानिदेशक कार्यालय में कार्रवाई आरंभ की जाएगी और शैक्षणिक सत्र के मेल में अप्रैल तक आदेश जारी किए जाएंगे।

2 अन्तर्रेलवे स्थानात्तरण के आवेदन भेजते समय मुख्य सुरक्षा आयुक्त यह देखेंगे कि स्थानान्तरण चाहने वाले रे.सु.क. कर्मचारियों की सेवा रिकार्ड बेदाग है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासन और अपील मामला लंबित नहीं है और जिसे रेलवे पर उसकी प्रथम नियुक्ति हुई थी वहां उसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और वरीयता क्रम में निचले स्थान का वचन-बन्ध उसने दिया है।

कृपया पावती दें।

जोगिन्दर सिंह
महानिदेशक/रे.सु.ब.